

अहकॉम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन (जिला बाड़मेर )

भाणा पुत्र खिना वगैरा जाति भील निवासी अरटी तह. सेड़वा	विप्रार्थीगण :- 1 हंसा 2 खंगार 3 छगना 4 काना 5 तुलछा पि डालु उर्फ लाडु 6 हलीमो पत्नि डालु उर्फ लाडु जाति भील निवासी अरटी तहसील सेड़वा 7 प्रबन्धक एसबीबीजे सेड़वा 8 प्रबन्धक बीसीसीबी सेड़वा 9 तहसीलदार सेड़वा
--	--

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 रा.कस्त.अधि मु.न. 366 / 2014

12/12/14

प्रार्थी के वकील श्री शाकर खान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. कस्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जो विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 13.01.2014 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा अरटी पटवारी हल्का अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 21 रकबा 100.00 बीघा ,खसरा न. 165 रकबा 33.18 बीघा ,खसरा न. 91 रकबा 111.03 बीघा खसरा न. 106 रकबा 150.15 बीघा ,खसरा न. 164 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. भूमि में आगामी पेश तारीख तक न्यायहित में आराजी खसरो में विप्रार्थीगण के विरुद्ध मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम जारी हो।

विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 13.01.2015 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

15-6-18

पत्रावली जगत राज्या लोके उदात्त न्याय  
 कापडे द्वारे 2018 के कॅम्प करायें में प्रेश  
 हूँ। यूरि मूलवाद में कापडेही समाप्त  
 की जा चुकी है इसलिए इस कॅम्प में  
 कागामों कापडेही वली स्तर पर समाप्त  
 न्यायालय द्वारा जारी अध्याग कोडि डि  
 12-12-14 की निरस्त किया जासके  
 पत्रावली फलस्वरूप कॅम्प हेविट दक्षिण  
 दफतर हो।

[Signature]  
 [Stamp: कॅम्प केन्द्र, चोहटन]